सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A15-18/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 13 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2021

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–8121/एचएनबीयूएमयू/2019–20 दिनांक 13 फरवरी, 2020, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माध्यम से सूरजमल अग्रवाल प्रा0 कन्या महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किच्छा रोड़, उधमसिंह नगर को बी0–एससी0 नर्सिंग में शैक्षिक सत्र 2019–20 का अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अर्न्तगत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्नांकित उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
सूरजमल अग्रवाल प्रा0 कन्या महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किच्छा रोड़, उधमसिंह नगर।	**बी0–एससी0 नर्सिंग**	**30**	**2019–20**

(1) विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों की नियुक्ति आई0एन0सी0 के मानकानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(2) संस्थान से प्राभूत धनराशि सम्बन्धी तथ्यों की पूर्ति कराने के साथ–साथ निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत, कार्यपरिषद्, नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर निर्णय लेकर विश्वविद्यालय स्तर से आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराया जाये।

(3) अग्रेत्तर सत्रों में सम्बद्धता हेतु यू0जी0सी0 विनियमों में निहित प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित कॉलेज में समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1596 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-18/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. कुलपति, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।